

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक – 30.05.2026

दबिश के दौरान 16 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा*** 04 वारण्टी नाम पता 01. मो0 हसन पुत्र मो0 हनीफ निवासी धौरहरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02. सलीम जावेद पुत्र मुन्नू साकिन काशीराम आवाश ब्लाक संख्या 83 आवास संख्या 963 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 03. राजकुमार गुप्ता पुत्र विद्या गुप्ता निवासी ग्राम पायलपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 04. भगवानदास पुत्र तामेश्वर निवासी गौसपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा, उ0नि0 श्री विनय कुमार पाण्डेय, उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, का0 बलराम यादव, का0 मनीष यादव, का0 राजन यादव, का0 भानू प्रताप सिंह, रि0का0 अंकित पाल, रि0का0 आनन्द शुक्ला, रि0का0 शिवम गुप्ता।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी नाम पता 01. वलीमुहम्मद पुत्र नसीबुल्ला निवासी बंगुलिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर 02. तबरिनशा पत्नी बदरुदोजा निवासी लौकीलाला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री रामसूरत प्रसाद, उ0नि0 श्री अनिल मिश्रा, उ0नि0 श्री अभय कुमार पाण्डेय, हे0का0 राजेश प्रसाद, हे0का0 जयचन्द्र कन्नौजिया, का0 गुड्डू यादव, रि0का0 अंकलेश्वर पाण्डेय, रि0म0का0 पूर्णिमा सिंह राठौर।

थाना महुली पुलिस द्वारा 06 नफर वारण्टी नाम पता 01. दिलशाद अहमद पुत्र इब्राहीम निवासी मानपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 02. फूलबदन पुत्र दारसू निवासी काली जगदीशपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 03. राजवंत पुत्र राममूरत निवासी मठिया थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 04. सत्यवान सिंह पुत्र जगन्नाथ निवासी जमुनिकला थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 05. रामजतन पुत्र शेषनरायण निवासी काली जगदीशपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 06. शंभू पुत्र रामजी निवासी ईटवा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री जयहिंद भारती, उ0नि0 श्री दिलीप सिंह, हे0का0 श्रीकांत यादव, हे0का0 मिथिलेश्वर चौधरी, का0 सूर्यनारायण गुप्ता, का0 विकास साहनी।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 03 नफर वारण्टी नाम पता 01. राजेश पुत्र बदल ग्राम बड़गो सरैना बसरवारीगाँव थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 02. विनोद शर्मा पुत्र रामबुझ शर्मा साकिन मड़पौना चौराहा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 03. दिनेश पुत्र योगेन्द्र साकिन सुरैना थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री हबीब अहमद, उ0नि0 श्री अवधेश कुमार यादव, उ0नि0 श्री हरेश्याम यादव, रि0का0 रोहित राज रि0का0 हिमान्शु सिंह।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता 01. रामअवध पुत्र बांके निषाद निवासी झुंगिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगरको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री राममिलन साहनी, का0 लवकेश यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 22 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस* द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 10 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना महुली पुलिस* द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना धनघटा पुलिस* द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना बखिरा पुलिस* द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 505 वाहनों से 5,73,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 30.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 505 वाहनों से 5,73,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के तहत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री जयप्रकाश दूबे* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 30.05.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1195/2025 धारा 64(1), 333, 351(3), 352, 115(2) बीएनएस से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त शिवा उर्फ शिवम पुत्र बाबूलाल निवासी मुडाड़ीहा खुर्द थाना दुधारा जनपद संत कबीर नगर को बगहिया मोड़ इण्डिस्ट्रियल तिराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 25.12.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने, मारपीट करने व गाली धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- निरीक्षक अपराध श्री विरेन्द्र कुमार यादव, उ0नि0 श्री इल्ताफ खां ।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एनडीपीएस एक्ट के मामले में 01 अभियुक्त को 14 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 1,50,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे *“ऑपरेशन कन्विक्शन”* अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 30.05.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एफ0टी0सी0 द्वितीय जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 14 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 1,50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरण:-

वादी मुकदमा एस0एच0ओ0 श्री बब्बन यादव थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा अभियुक्त 01. कमालुद्दीन उर्फ कमरुद्दीन पुत्र निजाम निवासी तरकुलवां उर्फ मटगोवा थाना श्याम देउरवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 01 किलो अवैध चरस बरामद कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री रुदल यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरण:-

मु0अ0सं0 1105/2015 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त कमालुद्दीन उर्फ कमरुद्दीन उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आधार पर 14 वर्ष के कठोर कारावास व 1,50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर अभियुक्त उपरोक्त को 06 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। सिद्धदोष अभियुक्त द्वारा पूर्व में बिताये गये कारावास की अवधि दण्ड में समायोजित की जायेगी।

जनपद संतकबीरनगर, सराहनीय कार्य- ऑपरेशन कन्विक्शन

तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एनडीपीएस एक्ट के मामले में 01 अभियुक्त को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व कुल 1,50,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

*श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “Operation Conviction” के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 30.05.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एफ0टी0सी0 द्वितीय जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त 01. कमालुद्दीन उर्फ कमरुद्दीन पुत्र निजाम निवासी तरकुलवां उर्फ मटगोवा थाना श्याम देउरवा जनपद महाराजगंज को एनडीपीएस एक्ट (01 किलो अवैध चरस) के मामले में अन्तर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 1,50,000 रुपये के जुर्माना से दण्डित किया गया। जुर्माना की अदायगी न करने पर अभियुक्त उपरोक्त को 06 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। सिद्धदोष अभियुक्त द्वारा पूर्व में बिताये गये कारावास की अवधि दण्ड में समायोजित की जायेगी।

सादर

पुलिस अधीक्षक

जनपद संतकबीरनगर

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद द्वारा थाना मेंहदावल का किया गया आकस्मिक निरीक्षण, दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश

आज दिनांक 30.05.2026 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन के लिए चलाए जा रहे 'मिशन शक्ति' अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के तहत मिशन शक्ति केंद्र खलीलाबाद का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस दौरान केंद्र की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करते हुए, तैनात महिला पुलिसकर्मियों को जनसुनवाई व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद द्वारा केंद्र पर आने वाली शिकायतों के रखरखाव, उनके निस्तारण की स्थिति और आगंतुक रजिस्टर का गहनता से अवलोकन किया गया और लंबित मामलों को समय सीमा के भीतर निपटाने के निर्देश दिए।

क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद द्वारा निर्देश दिया गया कि भीड़भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, स्कूल-कॉलेजों और कोचिंग सेंटर्स के आसपास एंटी रोमियो स्क्वाड लगातार गश्त करे और मिशन शक्ति केंद्र के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चौपाल लगाकर महिलाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन) और 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) के प्रति लगातार जागरूक करे।

सोशल मीडिया पर जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित एक व्यक्ति द्वारा एक लड़की से छेड़खानी किये जाने एक विडियो वायरल हो रहा है। घटना के सम्बन्ध में दिनांक 26.05.2026 को थाना बखिरा पर प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल थाना बखिरा द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। विवेचना प्रचलित है।